

आरोप

लिटिल किंगडम स्कूल पर लगे आरोप, अभिभावकों ने किया प्रदर्शन

# गोवा दूर में नहीं जाने पर छात्रों के काटे नंबर



नवभारत, जबलपुर। न्यू रामनगर, अधारताल स्थित लिटिल किंगडम स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन (इंटरनल/प्रेक्टिकल) में कथित भेदभावपूर्ण अंक देने का मामला सामने आने के बाद अभिभावकों का आक्रोश बढ़ गया है। नाराज अभिभावकों ने स्कूल परिसर में प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

कुछ अभिभावकों ने स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की मांग उठाई है।  
**क्या है पूरा मामला?**  
अभिभावकों के अनुसार, स्कूल प्रबंधन ने जिन छात्रों ने महंगी गतिविधियों—जैसे गोवा दूर (13,000 रुपए), एमयूएन एक्टिविटी (4,500 रुपए) और एनुअल फंक्शन (850 रुपए)—में हिस्सा नहीं लिया, उन्हें इंटरनल और प्रैक्टिकल में कम अंक दिए। आरोप है कि गोवा ट्रिप में

शामिल न होने वाले छात्रों को 20 में से करीब 10 अंक ही दिए गए, जबकि ट्रिप में जाने वाले छात्रों को पूरे 20/20 अंक प्रदान किए गए।

**रिजल्ट पर पड़ा असर**

अभिभावकों और विद्यार्थियों का आरोप है कि कम इंटरनल अंक मिलने के कारण छात्रों के कुल परिणाम पर बड़ा असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि कई छात्रों के कुल अंकों में 70-75 अंकों तक की गिरावट

आई, जिससे प्रतिशत में 12-13% तक कमी दर्ज हुई। अभिभावकों का कहना है कि जो छात्र 90% तक अंक ला सकते थे, वे अब 75-77% के बीच सिमट गए हैं।

**बच्चों पर मानसिक असर**  
अभिभावकों ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम का छात्रों पर मानसिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सालभर मेहनत करने के बावजूद कम अंक मिलने से बच्चे निराश और तनाव में हैं।

**स्कूल में हंगामा, पुलिस पहुंची**

मामले के सामने आने के बाद स्कूल में हंगामे की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही परेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन गुप्ता और सदस्य अमित पलिया मोकें पर पहुंचे और अभिभावकों के साथ मिलकर स्कूल प्रबंधन से चर्चा की। स्थिति को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया।

**दूर की वेधता पर भी उठे सवाल**

परेंट्स एसोसिएशन ने गोवा दूर को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इतने कम उम्र के छात्रों को राज्य से बाहर दूर पर ले जाने के लिए क्या आवश्यक प्रशासनिक अनुमति ली गई थी, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही ऐसे दूर की सुरक्षा और आवश्यकता पर भी सवाल उठाए गए हैं।

## पारिवारिक सदस्यों में चल रहा सुलह का प्रयास

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में पेश की गयी जानकारी



जबलपुर। सम्पति संबंधित विवाद के कारण पिता को पुत्र द्वारा नशा मुक्ति केन्द्र में बंधक बनाकर रखे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को याचिका की सुनवाई के दौरान बताया गया कि परिजनों को आपसी सुलह का प्रयास जारी है। युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 14 मई को निर्धारित की है।

जबलपुर निवासी अक्षय चैधरी की तरफ से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया था कि वह दुर्गेश पटेल के पास काम करता है। उनके पुत्र रूपेश पटेल ने पिता दुर्गेश पटेल को जबरन नशा मुक्ति केन्द्र में बंधक बनाकर रखा है। हाईकोर्ट के आदेश पर विगत 26 फरवरी को

तिलवारा पुलिस ने वृद्ध को हाईकोर्ट में पेश किया था। वृद्ध ने युगलपीठ को बताया था कि वह कोई साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस नहीं लेते हैं और प्रॉपर्टी के झगड़े की वजह से उसे नशा मुक्ति केन्द्र में रखा है। कोर्ट में अनावेदकों की तरफ से बताया गया कि वह साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस लेते हैं। वह भू-माफिया के प्रभाव में हैं जो प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। युगलपीठ ने पुलिस जांच अधिकारी को वृद्ध को मेडिकल जांच डॉक्टर बोर्ड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती कराया जाए।

याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि परिजनों को आपसी सुलह पर चर्चा जारी है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त कॉलेज से कारवने के आदेश जारी की तरफ से अधिवक्ता आलोक बागरेजा, अधिवक्ता विशाल बघेल ने पैरवी की।

## नियम तोड़ने वालों से वसूला 2 लाख का जुर्माना

आरटीओ ने वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की

नवभारत, जबलपुर। मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के निर्देश पर संभागीय परिवहन सुरक्षा उड़नदस्ता द्वारा अप्रैल माह में चलाए गए सघन जांच अभियान में व्यापक कार्रवाई करते हुए 2,04,900 रुपए की राजस्व वसूली की गई। अभियान के दौरान नियम विरुद्ध और दस्तावेजों में कमी पाए जाने वाले वाहनों के



खिलाफ कड़ी चालानी कार्रवाई की गई। जांच के दौरान वाहन क्रमांक एचआर 84 2687 से

80,500 रुपए, आरजे 20 जीबी 7007 से 70,500 रुपए और एमएच 40 सीएम 9795 से 35,900 रुपए की वसूली की गई। 15 वर्ष धुराने 4 यात्री वाहन जन्म परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश (ग्वालियर) उमेश जोगा के निर्देशानुसार एवं क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी रिकुशम की नेतृत्व में स्थाई अनुज्ञापत्र पर संचालित उन वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है, जिनकी आयु 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।

**6 स्कूल बस और 2 वैन पर भी कार्यवाही**

इसके अलावा टीम ने 6 स्कूल बसों से बिना फिटनेस के 18,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया तथा 2 वैन वाहनों में अवैध रूप से लगी एलपीजी रफिट को मौके पर हटवाकर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस कार्यवाही में उड़नदस्ता प्रभारी राजेंद्र साहू, परिवहन उप निरीक्षक अक्षय पटेल तथा परिवहन आक्षेप इन्स्पेक्टर हुसैन, आशुतोष मोधे, पीयूष मरावी, उमाशंकर उपाध्याय, अशोक खापर्डे, सारंगधर महाल, वंदना परतेती और निमिषा तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

## फायर ब्रिगेड के 11 कर्मचारियों को किया जा रहा गुमराह

नवभारत, जबलपुर। साहब...स्थापना विभाग और विधि विभाग के अधिकारियों द्वारा अग्रिशमन दल विभाग जबलपुर के 11 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र लाने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है जबकि वर्ष 2016 में मप्र हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया था कि उन सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। बावजूद इसके हम 11 कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। ये बात अग्रिशमन दल विभाग जबलपुर के पीड़ित कर्मचारियों ने गुरुवार को निगमायुक्त के नाम अधिकारी को ज्ञापन सौंपते वक्त कहीं और न्याय

की गुहार लगाई। पीड़ित फायर कर्मचारियों ने अब निगमायुक्त से मांग की है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायत देकर निर्देश दिए जाएं और नियमित करने के आदेश जारी किए जाएं। कर्मचारियों को माने तो वे अभी नियमित तौर पर अपनी सेवाएं फायर ब्रिगेड को दे रहे हैं।

**मप्र हाईकोर्ट ने सुनाया था पक्ष में फैसला**  
फायर ब्रिगेड कर्म हल्हू प्रसाद वेन, चेतन तिवारी, अनिस खान, राजेश सेन, गणेश सोनी, युष्काम खान, रविंद्र कुमार राजपूत, चेतनराम पांडे, ठाकुर प्रसाद



खटीक, संजय तिवारी सेवानिवृत्त, मनोज कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त ने नवभारत को स्पष्ट बताया कि नगर निगम में नियमितकरण के लिए उन्होंने वर्ष 2016 में याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 165 2015 दायर की थी जिसमें नियमित फायरमैन के पद पर नियमित करने के आदेश भी कोर्ट ने जारी कर दिए थे। इसके बाद नगर निगम सुप्रीम कोर्ट गई जहां भी कर्मचारियों को नियमित

करने का फैसला सुनाया गया इसके बाद भी कर्मचारियों को

**एक दूसरे पर जिम्मेदार डाल रहे जवाबदेही**

इस संबंध में स्थापना विभाग के अधीक्षक संजय पटेल से बात की गई तो उनका स्पष्ट कहना था कि नियुक्ति पत्र या अन्य दस्तावेज फायर कर्मियों से मांगने के आदेश के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसकी पूरी जानकारी स्थापना विभाग के बाबू वीरू मार्को को होगी। जब इस संबंध में बाबू वीरू से संपर्क किया तो उन्होंने भी मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी जानकारी अधीक्षक संजय पटेल को होगी।

नियुक्ति पत्र, अन्य दस्तावेज की मांग को लेकर गुमराह किया जा रहा है। कर्मचारियों ने ये भी कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नगर निगम द्वारा कभी नहीं दिया जाता लेकिन उसके बावजूद इसकी आड़ लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा है।

## शॉर्ट टर्मिनेट होंगी इटारसी, कटनी समेत अन्य गाड़ियां

जबलपुर, नवभारत। रेलवे द्वारा अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए गति प्रदान की जा रही है। जिसके चलते पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मण्डल में कटनी एकेबिन पर कार्य के अंतर्गत रेल प्रशासन द्वारा 18 अप्रैल को 06 घण्टे का ब्लॉक लिया जा रहा है। इस दौरान कुछ रेलगाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट ओरिजिनेट किया गया है जो इस प्रकार है गाड़ी संख्या 68747/68748 बिलासपुर-कटनी-बिलासपुर मेमू एक्सप्रेस ट्रेन उमरिया स्टेशन पर समाप्त एवं प्रारम्भ होगी। गाड़ी संख्या 61602/61601 चिरमिरी-

कटनी-चिरमिरी मेमू एक्सप्रेस ट्रेन झलवारा स्टेशन पर समाप्त एवं प्रारम्भ होगी गाड़ी संख्या 11601/11602 बीना-कटनी-बीना मेमू एक्सप्रेस ट्रेन कटनी मुडवारा स्टेशन पर समाप्त एवं प्रारम्भ होगी। गाड़ी संख्या

61617/61618 इटारसी-कटनी-इटारसी मेमू एक्सप्रेस ट्रेन निवार स्टेशन पर समाप्त एवं प्रारम्भ होगी। वही गाड़ी संख्या 61606/61605 सतना-कटनी-सतना मेमू एक्सप्रेस ट्रेन महैर स्टेशन पर समाप्त एवं प्रस्थान होगी।

**मानवीय सत्वों न्यायालय द्वारा निगमों की गई परियोजनाएँ एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड से क्रियान्वित**  
(भारत सरकार का एक नवतंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) ASPIRE

**ई-नीलामी के माध्यम से**

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) स्थित नोएडा पार्क-V में स्थित पूर्व आग्रपाली समूह की टेक पार्क परियोजना की बिक्री NBCC के माध्यम से की जा रही है। इच्छुक पक्ष RAILTEL (ई-नीलामी अयोजित करने के लिए NBCC (INDIA) LTD द्वारा निवृत्त एजेंसी) या वेबसाइट <https://nbcctauction.envida.com> पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। ई-नीलामी 24.04.2026 को आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: 9772907414

## 41 डिग्री पार हुआ पारा, सूर्यदेव ने उगली आग, तपा शहर



जबलपुर। गुरुवार को शहर लू की चपेट में आ गया। पारा ने लंबी उछाल मारी। तापमान सीधे 41 डिग्री पार हो गया। सूर्यदेव के तेवर इतने उग्र रहे हैं कि जैसे मानो सूरज आग उगल रहा हो। दिनभर सूरज की तपिश से शहर तपा बल्कि लोगों को गरम हवाएं झुलसाती रही। दिनभर बिना कूलर, पंखे, एसी के रहना मुश्किल था।

चिलचिलाती धूप और गर्मी ने बेचैनी बढ़ा दी थी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। 18 अप्रैल तक जिले में दिन एवं रात का तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस एवं 22 से 24 डिग्री सेल्सियस चढ़ने की संभावना है।

**ऐसा रहा तापमान**  
गुरुवार को अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 31 और शाम को 24 प्रतिशत दर्ज की गई। पश्चिमी हवाएं चार किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही थीं।

**ये सिस्टम है सक्रिय**

मौसम विभाग की माने तो एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तर हरियाणा एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तर-पूर्व मध्यप्रदेश एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। उत्तर-दक्षिण ट्रफ, उत्तर-पूर्व मध्यप्रदेश के ऊपर सक्रिय चक्रवातीय परिसंचरण से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए मनार की खाड़ी तक माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है। उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर, लगभग 185 किमी प्रति घंटा की गति से माध्य समुद्र तल से 13.5 किमी की ऊंचाई पर उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं।

**NISSAN MAGNITE BOLD INSIDE OUT**

5 YEARS OF FREE MAINTENANCE | 5.55% ATTRACTIVE RATE OF INTEREST\* | EXCHANGE BENEFIT UP TO ₹55 000\*

20+ FIRST-IN-SEGMENT FEATURES | G-NCAP 5 STAR SAFETY RATED\*

PLASMACLUSTER™ IONIZER | PREMIUM I-KEY WITH APPROACH UNLOCK AND WALK AWAY LOCK | MODURE LEATHER™ QUILTED SEATS

RANGE STARTS @ ₹5.62 LAKH

INDUSTRY FIRST 55-MINUTE CAR EXCHANGE | Spinny PREFERRED EXCHANGE PARTNER

CUSTOMER SERVICE PROMISE: 10 Years Warranty\* (Enjoy 3 Years Standard + 7 Years Extended Warranty) | 90 mins\* Express Service | Lowest Cost\* of Maintenance @40p/km

AUTHORIZED NISSAN DEALERS: MADHYA PRADESH: JABALPUR: PLATINUM NISSAN- 8291040124, BHOPAL: KROWN NISSAN- 9152500547, CHHINDWARA: SHREE KRISHNA NISSAN- 8291046174, GWALIOR: SUMEDHA NISSAN- 961894841, INDORE: DEWAS NAKA: SANGHI NISSAN- 9167114732, GEETA BHAWAN SQUARE: ANAND NISSAN- 8291045843, RAJENDRA NAGAR: SANGHI NISSAN- 8879142084, CHHATTISGARH: BILASPUR: SHIVA NISSAN- 9167196314, RAIPUR: SHIVA NISSAN- 9167298723.

\*Terms & conditions apply. The scheme/benefits mentioned are applicable on select vehicles/variants of MY2026 which will be invoiced on or before 30th April 2026 or till stocks last. All prices ex-showroom Delhi. Features may vary from variant to variant. Colours, models and variants are indicative and for depiction only and may vary due to printing constraints. Accessories shown may not be part of standard fitment. Please visit your nearest Nissan dealer for more information. 5.55% interest rate is applicable only with NRSFI finance. Finance is on the sole discretion of NRSFI. Segment refers to B-SUV models with length <4m. Leather mentioned in the features refers to synthetic leather/leatherette. PlasmaCluster™ is a registered trademark of the Sharp Corporation. †Standard warranty 3 year or 100k km whichever comes first and can be extended to 10 years/1,00,000 km on additional cost. Offer applicable on Nissan Magnite only and customer needs to provide certificate of deposit. \*Government approved CNG kit fully developed, manufactured & Quality assured by a 3rd Party. CNG kit warranty & any other related terms & conditions are applicable as specified by third party. Exchange is at the sole discretion of exchange partner. \*GNCAAP rating for Nissan Magnite published in Q2-5 Star for Adult Safety and 3 Star for Child Safety rating from VNI. MDHFAD002003739. Detailed report available on website: [www.globalecap.org/indiaresults](http://www.globalecap.org/indiaresults).

स्वनाधिकारी रामगोपाल इन्वेंटमेंट प्राइवेट लिमिटेड हेतु लेखी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए आरोप श्रोतरी द्वारा नैपियर टाउन बस स्टैंड जबलपुर से प्रकाशित एवं नैपियर टाउन बस स्टैंड जबलपुर से मुद्रित. स्वयंकीय संगठनक अविनाश दीक्षित, "समाचार चयन के लिए पी.आर.पी. एच.के अंतर्गत विमोदरा, फोन-0761-4109072, E-mail-navbharatjabalpur@gmail.com पी.नं.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/77